



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3120]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941

No. 3120]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

का.आ. 3426(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के उपखण्ड (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. 50 का.आ. 2752(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(घक) इसके साथ अनुबंध में दिए गए अनुसूची-III के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त को, उक्त अनुसूची-III के कॉलम (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर उनका मुख्यालय रखते हुए उनके मौजूदा क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त उक्त अनुसूची-III के कॉलम (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्राधिकारों में, किसी भी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में किसी भी व्यक्तियों, अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में किसी भी मामले अथवा मामले के वर्गों के संबंध में, शक्तियों का प्रयोग और कार्रवाईयों का निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

(ii) अनुसूची-II के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“अनुसूची-III

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, तिरुपति	तिरुपति	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कुरनूल
2	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 2, विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजमुंदरी
3	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -10, दिल्ली	दिल्ली	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -11, दिल्ली
4	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 12, दिल्ली	दिल्ली	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 13, दिल्ली
5	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 15, दिल्ली	दिल्ली	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -14, दिल्ली
6	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -20, दिल्ली	दिल्ली	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -19, दिल्ली
7	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -23, दिल्ली	दिल्ली	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 22, दिल्ली
8	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -3 राजकोट	राजकोट	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -2, राजकोट
9	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 3, वडोदरा	वडोदरा	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त 4, वडोदरा
10	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हुबली	हुबली	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बेलगाम
11	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 6, बैंगलुरु	बैंगलुरु	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, देवनागीरी
12	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 23, मुम्बई	मुम्बई	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -18, मुम्बई
13	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -22, मुम्बई	मुम्बई	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -21, मुम्बई
14	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 26, मुम्बई	मुम्बई	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 29, मुम्बई
15	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 34, मुम्बई	मुम्बई	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 35, मुम्बई
16	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 1, औरंगाबाद	औरंगाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 2, औरंगाबाद
17	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 1, कोलहापुर	कोलहापुर	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -2, कोलहापुर
18	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 3, चैन्नई	चैन्नई	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 10, चैन्नई

19	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - त्रिची	तिरुची	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 2, त्रिची
20	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -1, मदुरै	मदुरै	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 2, मदुरै
21	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 2, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -3, कोयम्बटूर
22	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 18 कोलकाता	कोलकाता	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 19, कोलकाता
23	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - 21, कोलकाता	कोलकाता	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त -20, कोलकाता
24	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वर्धमान	दुर्गापुर	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दुर्गापुर
25	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - सिलीगुड़ी	जलपाईगुड़ी	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जलपाईगुड़ी”

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 71/2019/फा. सं.187/8/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना, अधिसूचना संख्या का.आ. 2752(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी।